रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2009/कार्तिक 20, 1931
No. 643] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2009/KARTIKA 20, 1931

IndiaCode

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली...10 नवम्बर , 2009

सा.का.नि. 807(अ) केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (च) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चिड़ियाघर मान्यता नियम 1992 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभा-ाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) ''अधिनियम'' से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) ''केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 38क के अधीन गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) ''प्रजनन संरक्षण केन्द्र'' से वन्य जीव की संकटग्रस्त प्रजाति के प्रजनन संरक्षण संबंधी योजना को विशे-ा रूप से समर्पित प्रसुविधा अभिप्रेत है ;

(घ) ''बाड़ा'' से चिड़ियाघर के पशुओं के लिए उपलब्ध किया गया कोई आवास अभिप्रेत है ;

(ङ) ''बाड़ा अवरोध'' से किसी पशु को बाड़े के भीतर रोकने के लिए बनाया गया अवरोध अभिप्रेत है ;

(च) ''संकटग्रस्त प्रजाति'' से अधिनियम की अनुसूची I और अनुसूची II में सम्मिलित प्रजातियां अभिप्रेत है ;

(छ) ''गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति'' से ऐसी संकटग्रस्त प्रजाति अभिप्रेत है जिनकी देश के सभी चिड़ियाघरों में एक साथ कुल संख्या 200 से अधिक नहीं रखी हुई है ;

(ज) ''प्ररूप'' से इन नियमों में संलग्न कोई प्रारूप अभिप्रेत है ;

(झ) ''तमाशाई कार्य'' से कोई ऐसा प्रयास अभिप्रेत है जिसके द्वारा सरकस के करतब दिखाने सहित अस्वाभाविक कार्य करने के लिए पशु को बाध्य किया जाता है ;

(ञ) ''बचाव केन्द्र'' से अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दि-ट पशुओं की लंबी अवधि की देखभाल करने के लिए कोई स्थापन अभिप्रेत है ;

(ट) ''स्टैण्ड आफ बैरियर'' से वह भौतिक अवरोध अभिप्रेत है जो बाड़ा अवरोध के बाहरी किनारे से पीछे बनाया गया हो ;

(ठ) ''चिड़ियाघर निदेशक'' से चिड़ियाघर का भार साधक, उसे चाहे किसी नाम से अभिहित किया गया हो जो चिडियाघर के दिन प्रतिदिन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो, अभिप्रेत है ;

IndiaCode

(ड) " चिड़ियाघर संचालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका चिड़ियाघर के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो परंतु ;

(I) किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ की दशा में उसका कोई एक भागीदार अथवा कोई एक सदस्य ; अथवा

(II) किसी कंपनी की दशा में चिड़ियाघर के कार्यों के लिए प्रभारी और कंपनी के प्रति उत्तरदायी किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी ; अथवा

(III) केन्द्रीय सकार अथवा किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिक कोई न्यास या सोसाइटी सरकार की दशा में, यथास्थिति, उस सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के संबद्ध विभाग के सचिव को चिड़ियाघर संचालक समझा जाएगा ।

3. मान्यता के लिए आवेदन पत्र

(1) किसी चिड़ियाघर को मान्यता देने के लिए अधिनियम की धारा 38ज के अधीन आवेदन प्ररूप 'I' में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा ।

(2) किसी नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए अधिनियम की धारा 38ज की उपधारा (1क) के अधीन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए कोई आवेदन, ब्यौरेवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ प्ररूप क में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा ।

4. आवेदन के लिए शुल्क

नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के लिए दस हजार रुपए की फीस का संदाय डिमांड ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर के माध्यम से "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली" के पक्ष में किया जाएगा

5. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और उसमें दिए जाने वाले बयौरे

नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 4 के अधीन विनिर्दि-ट फीस संलग्न की जाएगी और प्ररूप 'I' में विनिर्दि-ट मामलों के बारे में दस्तावेज और विवरण भी अंतर्वि-ट किए जाएंगे ।

6. पूछ-ताछ करने और जानकारी मंगाने की शक्तियां

अधिनियम की धारा 38ज के अधीन चिड़ियाघर को मान्यता देने से पूर्व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ऐसी पूछताछ कर सकेगा और आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की मांग कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. मान्यता का स्वरूप--(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, चिड़ियाघर में पर्याप्त प्रसुविधा और मानकों के संबंध में समाधान होने पर ऐसे चिड़ियाघर को मान्यता दे सकेगा ।

(2) किसी चिड़ियाघर को दी गई मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्

(क) जब तक स्थाई आधार पर मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तब तक मान्यता एक व-र्ा से अन्यून की ऐसी अवधि के लिए होगी जैसी मान्यता में विनिर्दि-ट की जाए ।

(ख) चिड़ियाघर ऐसे मानकों और मानदंडों के अनुपालन करेगा जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन विनिर्दि-ट या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं ; और

(ग) चिड़ियाघर समय-समय पर चिड़ियाघर की देखभाल और रखरखाव के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा ।

8. मान्यता का नवीकरण---(1) इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिड़ियाघर,मान्यता की अवधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व प्ररूप 'I' में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को आवेदन भेजेगा ।

(2) नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6, और नियम 7 के उपबंध, मान्यता के नवीकरण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार मान्यता देने के संबंध में लागू होते हैं सिवाय इसके कि मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन के संबंध में संदेय फीस पांच हजार रुपए देने होंगे ।

9.चिड़ियाघरों का वर्गीकरण

(1) चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए मानकों और मानदंडो के निर्धारण और चिड़ियाघरों के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए, चिड़ियाघरों को उनके क्षेत्र, दर्शकों की संख्या, प्रजातियों और पशुओं संख्या, संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके संग्रहण में संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं की संख्या

IndiaCode

को ध्यान में रखा जाएगा और चिड़ियाघर को तदनुसार सारणी में विनिर्दि-ट निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :

क्रम सं0	चिड़ियाघर की श्रेणी	श्रेणी में अर्हित होने के लिए मानदंड					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		चिड़ियाघर का क्षेत्रफल (है. में)	प्रतिव-ार्दशकों की संख्यां (लाखों में)	प्रजातियों की संख्यां	पशुओं की संख्यां	संकटग्रस्त प्रजातियां की संख्यां	संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं की संख्यां
1.	बड़ा	75	7.5	75	750	20	100
2.	मध्यम	35	3.5	35	350	10	50
3.	छोटे	10	1.0	10	100	3	15
4.	लघु	10 से कम	1.00 से कम	10 से कम	100 से कम	---	---

(2) चिड़ियाघर जो कि किन्ही चार पूर्वोक्त मानदंडों को (किंतु प्रजातियों और पशुओं की संख्या सहित) पूरा करता हो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

परंतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उस आदेश में पशु चिकित्सक और पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारिवृंद के नियोजन सहित चिड़ियाघर के क्षेत्रफल, हाउसिंग, देखरेख और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के संबंध में अधिकथित की गई हों, संकटग्रस्त प्रजातियों को रखने के लिए लघु चिड़ियाघर को अनुज्ञात कर सकेगा ।

10. मान्यता के लिए मानक और संनियम

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के हितों पर विचार करने तथा इस बात पर समाधान हो जाने पर कि ऐसे चिड़ियाघर द्वारा अनुसूची में विनिर्दि-ट मानक और मानदंड तथा अन्य बातों को पूरा कर दिया गया है, चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करेगा :

परंतु यह कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, यदि वह उचित समझता है और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे चिड़ियाघर को, जिन्होंने पूर्व में काफी सुधार दर्शित किया है और जिनके

पास युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर विहित मानकों और संनियमों का अनुपालन करने का सामर्थ्य और संसाधन हैं और जो ऐसा करने के इच्छुक हैं, शर्तों यदि कोई हो, के साथ मान्यता प्रदान कर सकेगा । इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप चिड़ियाघरों में गुणात्मक सुधार होगा और चिड़ियाघरों के उनकी विद्यमान स्थिति के आधार पर बंद किए जाने के कारण उद्‌भूत होने वाली संभारतंत्र संबंधी समस्याओं से बचा जा सकेगा ।

11. अभिलेख रखना और सूची भेजना

(**1**) प्रत्येक चिड़ियाघर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्ररूप में और रीति में अपने संकलन में प्रत्येक प्रजाति के पशुओं के जन्म, प्राप्ति, मृत्यु और निपटान का अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वित्तीय व-र्ा के लिए उपरोक्त वर्णित विवरणों के साथ प्रत्येक चिड़ियाघर में संग्रहीत पशुओं की सूची, प्ररुप II में, आगामी व-र्ा की अप्रेल की **30** तारीख तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

परंतु अधिनियम की अनुसूची I और अनुसूची II में अंतवर्लित प्रजातियों के पशुओं से संबंधित विवरण के साथ शवपरीक्षा रिपार्टो के आधार पर मृत्यु के कारणों की पहचान करने वाले विवरण, उक्त त्रैमासिक के समाप्ति के **15** दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक त्रैमासिक को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

(**2**) प्रत्येक चिड़ियाघर, प्रत्येक वित्तीय व-र्ा के लिए अपने क्रियाकलाप और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुबद्ध शर्तो के अनुपालन की एक वार्-िक रिपोर्ट व-र्ा के जून की **30** तारीख तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

IndiaCode

अनुसूची

(नियम 10 देखें)

1. साधारण अपेक्षाएं

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, वन्य जीवन संरक्षण और प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वस्थ्य स्वरूप पशुओं को प्रदर्शित करके दर्शकों को विश्वसनीय संरक्षण संदेश संसूचित करने के हेतुक को बढ़ावा देने के लिए भौतिक रूप से, आनुवांशिक रूप से और व्यवहार में स्वस्थ्य पशुओं की जनसंख्या स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर, उचित भूदृश्य-निर्माण करके और समुचित प्रजातियों के पौधों को लगाकर चिड़ियाघर के भीतर एक प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे कि दर्शक प्रकृति के साथ संपर्क और प्रकृति के साथ मिलकर जीने के लिए उत्प्रेरित होने में समर्थ हो सके ।

(3) प्रत्येक चिड़ियाघर, ऐसी रीति में चिड़ियाघर में दर्शकों के संचलन को विनियमित करने का प्रयास करेगा, जिससे चिड़ियाघर के पशु असम्यक् रूप से परेशान, तनावग्रस्त या उत्तेजित न हो और चिड़ियाघर को सप्ताह में कम से कम एक दिन दर्शकों के लिए बंद रखा जाएगा ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दर्शकों की अविनियमित पहुंच और चिड़ियाघर के पशुओं को क्षति, उनकी चोरी और परभक्षण के विरुद्ध सुरक्षोपाय के रूप में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी मानकों के अनुसार चिड़ियाघर की सीमा के साथ-साथ समुचित रूप से अवरोध तैयार करेगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर को, जो मानवीय भूदृश्य से घिरा है, दोनों ओर से भूतल से कम से कम दो मीटर ऊंची पेरीमीटर दीवार से घेरा जाएगा ।

(6) चिड़ियाघर परिसरों के भीतर किसी आवासीय कालोनी का संनिर्माण नहीं किया जाएगा ।

परंतु जहां ऐसी कालोनियां पहले से विद्यमान है, वहां उन्हें चिड़ियाघर परिसर से एक सीमा दीवार से पृथक् किया जाएगा जो भूतल से कम से कम दो मीटर ऊंची होगी । आवासीय कालोनी का प्रवेश चिड़ियाघर परिसरों के माध्यम से नहीं होगा ।

IndiaCode

(7) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने प्रचालन को ऐसी रीति में करेगा जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर न्यूनतम दबाव पड़े और जिससे न्यूनतम मात्रा में ठोस अपशि-ट और बहिःस्राव उत्पन्न हो और चिड़ियाघर ऐसी रीति में जो न्यूनतम प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव डाले, बहिःस्राव और ठोस अपशि-ट में कमी करके, उनका पुनः उपयोग करके और पुनः चक्रण करके तथा व्ययन करके प्रभावी अपशि-ट प्रबंध व्यवहारों को स्थापित करने के लिए भी प्रयास करेगा ।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर, दर्शकों के समक्ष बीमार, चोटिल, निःशक्त और रस्सी से बंधे पशुओं का प्रदर्शन से विरत रहेगा और ऐसे पशुओं को समुचित देखभाल और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए विशे-ा रूप से उद्धि-ट गैर-प्रदर्शन सुविधाओं में रखा जाएगा ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर परिसरों के भीतर घरेलू पशुओं और पालतु पशुओं को रखने से बचेगा और घरेलू गाय-भैंसों, आवारा पशुओं और पालतु पशुओं के चिड़ियाघर परिसरों में प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय भी स्थापित किए जाएंगे ।

2. प्रशासनिक और कर्मचारिवृंद संबंधी पैटर्न

(1) चिड़ियाघर प्रचालक, समुचित रैंक वाले किसी अधिकारी को चिड़ियाघर के 'पूर्णकालिक प्रभारी' के रूप में तैनात करेंगे जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे अधिकारी को चिड़ियाघर के पशुओं को उचित रूप से रखे जाने, देखभाल करने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तथा चिड़ियाघर का योजनाबद्ध रीति से प्रबंध करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाए ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, चिड़ियाघर के पशुओं को उचित रूप से रखे जाने, देखभाल करने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, नीचे सारणी में यथाविनिर्दि-ट अनुसंधान और दर्शक शिक्षा के लिए, चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी को पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :--

IndiaCode

क्रम सं.	कर्मचारिवृंद का प्रवर्ग	बड़ा चिड़ियाघर	मध्यम चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	लघु चिड़ियाघर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संग्रहपाल	1	1	1	लघु चिड़ियाघर, स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त रूप से अर्हित व्यि-टियों की सहायता प्राप्त करेंगे ।
2.	पशु चिकित्सक	2	1	1	
3.	शिक्षा अधिकारी	1	1	1	
4.	जीव-विज्ञानी	1	1		

(3) उस दशा में जब वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, ऐसे पदों के लिए भर्ती नियमों में उनकी पदोन्नति के लिए नमनीय अनुपूरक स्कीम के फायदे सहित कैरियर प्रगति के लिए उपबंध होगा ।

3. विकास और योजना

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, एक मास्टर योजना तैयार करेगा और उस मास्टर योजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदित कराएगा ।

(2) ऐसे चिड़ियाघर, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रचालन कर रहे हैं, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक व-र्ा के भीतर अपनी मास्टर योजना तैयार करेंगे और उस मास्टर योजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदित कराएंगे ।

(3) उप पैरा (1) और उप पैरा (2) में निर्दि-ट मास्टर योजना में, अन्य बातों के साथ, 20 व-र्ा की अवधि के लिए चिड़ियाघर के सकल विकास की योजना सम्मिलित होगी, जिसे चिड़ियाघर द्वारा अपनाई गई थीम के आधार पर तैयार की गई एक ब्यौरेवार कार्य योजना के साथ प्रत्येक दस व-र्ा में

पुनरीक्षित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हरित पट्टी, लॉन, बगीचे, पशु प्रदर्शन क्षेत्र, दर्शकों के लिए प्रसुविधाओं, पशुओं की देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्थनकारी अवसंरचना, प्रशासनिक और अनुरक्षण इकाई के लिए भवनों के लिए अवस्थान उपदर्शित किए जाएंगे ।

(4) चिड़ियाघर के लिए उद्दि-ट क्षेत्र के कम से कम 30% क्षेत्र को हरित पट्टी के अधीन रखा जाएगा और प्राकृतिक वनस्पतियों तथा पशुओं के रहने का क्षेत्र, चिड़ियाघर के क्षेत्र के 30% से अधिक नहीं होगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर, सभी पक्के भवनों, जिनके अंतर्गत चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के लिए सुविधाएं भी हैं, ऐसी रीति में अवस्थित करने और डिजाइन तैयार करने में पर्याप्त सावधानी बरतेगा जिससे कि चिड़ियाघर का प्राकृतिक भू-दृश्य और पशु बाड़ों को ढका नहीं जाए और चिड़ियाघर की सफाई और स्वच्छता प्रभावित न हो ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के परामर्श से एक संग्रहण योजना तैयार करेगा जिसमें चिड़ियाघर में रखे जाने वाले पशुओं की प्रत्येक प्रजाति का नाम और प्रत्येक प्रजाति के पशुओं की अधिकतम संख्या को उपदर्शित किया जाएगा, और इसे प्रजातियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अवस्थान की जलवायु संबंधी परिस्थितियों की अनुकूलता, प्रजातियों की उचित देखभाल तथा स्वास्थ्य के लिए स्थान और अवसंरचनात्मक समर्थन की उपलब्धता, चिड़ियाघर की प्रजातियों की प्राकृतिक आवास रेंज से निकटता और चिड़ियाघर का प्रजातियों के प्रबंध और प्रजनन में पूर्व अभिलेख को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा तथा कोई भी चिड़ियाघर अपने संग्रहण में नई प्रजातियों या प्रजातियों के अतिरिक्त पशुओं को रखने के लिए पशुओं को रखे जाने तथा उनकी देखभाल संबंधी मानकों से समझौता नहीं करेगा ।

(7) कोई भी चिड़ियाघर किसी बचाए गए पशु को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसने ऐसे पशु के लिए बाड़े और देखभाल प्रसुविधाओं और साथ ही करंतीन अवधि के दौरान उसे एकांत में रखने के लिए प्रसुविधाओं को समुचित रूप से तैयार न कर लिया हो ।

IndiaCode

(8) जब कभी कोई चिड़ियाघर किसी बचाए गए पशु को अपने यहां रखने जाने के लिए स्वीकार करने का विनिश्चय करता है, ऐसे स्त्रोत, जिससे वह पशु प्राप्त हुआ है, इसके अर्जन की वैधता और चिड़ियाघर में पशु को रखे जाने, देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक ब्यौरेवार रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को भेजी जाएगी :

परंतु उस दशा में, जहां कोई बचाया गया पशु किसी संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है, वहां रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी ।

(9) प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए संस्थापक पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए किसी विशि-ट चिड़ियाघर में किसी पशु को भेजे जाने के संबंध में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का विनिश्चय संबंधित चिड़ियाघर पर आबद्धकर होगा ।

4. पशु आवास, पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं के बाड़े

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशुओं को प्रकृति को अंतर्निहित करने वाले बाडों में उपदर्शित करने का प्रयास करेगा ।

(2) प्रत्येक बाड़े के डिजाइन और आकार को प्रजाति के जैव व्यवहार और उसमें रखे जाने वाले पशुओं की संख्या को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) चिड़ियाघर यह सुनिश्चित करेगा कि बाड़ा पशु, पशु की देखभाल करने वाले व्यक्तियों और दर्शकों के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित है और उसमें पशुओं के स्वतंत्र विचरण, व्यायाम और प्राकृतिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित स्थान है ।

(4) समूह या झुंड में प्रबल पशुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए पशुओं को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) कोई भी चिड़ियाघर किसी पशु को ऐसे बाड़े में प्रदर्शित नहीं करेगा, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार नहीं है ।

IndiaCode

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार पशुओं की प्रजाति विनिर्दि-ट व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बाड़े की परिस्थितियों को अधिकाधिक अनुकूल बनाने के लिए विशे-ा प्रयास करेगा ।

(7) साथ लगे बाड़ों के बीच पर्याप्त ओट उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि पशु इन बाड़ों में रखे गए अन्य पशुओं को देखकर असम्यक् रूप से उत्तेजित या तनावग्रस्त न हो ।

(8) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कोई नया बाड़ा संनिर्मित नहीं किया जाएगा ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दर्शकों के आवागमन को विनियमित करने के लिए प्रत्येक पशु प्रदर्शन बाड़े में समुचित रूप से तैयार किए गए और प्रभावी बड़े व्यवधान ऐसी रीति में उपलब्ध कराएगा, जो दर्शकों को पशुओं के आस-पास या निकट पहुंचे बिना और उन्हें पशुओं को भौतिक रूप से स्पर्श करने या उन्हें उत्तेजित करने का अवसर दिए बिना वन्य जीवों का आबाधित दृश्य प्रस्तुत करे और प्रत्येक चिड़ियाघर ऐसे पर्याप्त सूचना-पट भी प्रदर्शित करेगा जो दर्शकों को पशुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दें ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक प्रदर्शन बाड़े में वन्य जीवन की प्रजातियों के जीव-विज्ञान व्यवहार और जनसंख्या संबंधी प्रास्थिति की सुसंगत जानकारी वाले उपयुक्त सूचना-पट उपलब्ध कराएगा :

परंतु यह कि बडे और मध्यम आकार के चिड़ियाघर, बाड़े में प्रदर्शित प्रजातियों के व्यवहार और जीव-विज्ञान को स्प-ट करने के प्रयोजन के लिए परस्पर क्रियाशील निर्वचन प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे ।

5. पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में सामाजिक और व्यवहार में जीवनक्षम समूहों में पशुओं को रखेगा और उनकी देखभाल करेगा । किसी भी पशु को तब तक उसके समूह से अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना पशु या समूह के अन्य पशुओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक न हो :

परंतु यह कि इस प्रकार पृथक् किए गए पशुओं को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में रखे सभी पशुओं को समय पर ऐसी गुणवत्ता वाले खाद्य का, जो ऐसी संरचना और ऐसी मात्रा में होगा कि प्रत्येक पशु की पो-ाणीय और व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति हो, प्रदाय किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाएंगे कि कोई भी पशु इस आधार पर अपोि-त न हो कि कोई अन्य प्रबल पशु उन्हें भोजन में उनके अंश को ग्रहण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और चिड़ियाघर प्रचालक चिड़ियाघर में विद्यमान सभी पशुओं को पूरा समय पेयजल का प्रदाय सुनिश्चित करेगा ।

(3) पशुओं को खाद्य के वितरण का समय, खाद्य को रखने का स्थान और खाद्य के वितरण की पद्धति को ऐसी रीति में विनियमित किया जाएगा कि पशुओं को आहार लेने संबंधी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और कौशल तथा व्यवहार को अभिव्यक्त करने के अधिकतम अवसर प्राप्त हों ।

(4) जंगली पशुओं, उन्मुक्त रूप से घूमने वाले जंगली पशुओं और मुरदारखोर पशुओं द्वारा चिड़ियाघर के पशुओं का भोजन खाने के लिए सुरक्षोपाय के रूप में प्रत्येक पशु को इस प्रयोजन के लिए विशे-ा रूप से उद्दि-ट भोजन प्रको-ठों/करालों में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे भोजन प्रको-ठों और करालों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि वे कड़ी मौसमी परिस्थितियों में और साथ ही रात्रि के दौरान सुरक्षित निवास के रूप में पशुओं के लिए आंतरिक बाडों का प्रयोजन भी सिद्ध कर सकें :

परंतु भोजन प्रको-ठों और कराल का आकार और डिजाइन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार होगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि बचा हुआ खाना, पशुओं का मल और अन्य सभी अपशि-टों को तुरंत ही भोजन प्रको-ठों और करालों से हटाया जाता है और भोजन प्रको-ठों तथा करालों की धुलाई की जाती है और उन्हें प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारियों की सलाह के अनुसार कीटाणु मुक्त किया जाता है तथा इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस और तरल

अपशि-ट को ऐसी रीति में व्यनीत किया जाएगा, जिसका चिड़ियाघर और चिड़ियाघर के आस-पास के भू-दृश्य की स्वच्छता और सफाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(6) संग्रहाध्यक्ष और पशु चिकित्सक कर्मचारिवृंद, चिड़ियाघर के पशुओं के साधारण व्यवहार और स्वास्थ्य पैरामीटरों पर कड़ी निगरानी रखेंगे । पशुओं का केवल ऐसे कर्मचारिवृंद द्वारा ही रखरखाव किया जाएगा, जिनके पास विशि-ट पशुओं के रखरखाव में अनुभव और प्रशिक्षण है ।

(7) ऐसे किसी पशु का, जो उदासीनता, कम भूख का लगना, चोट या असामान्य व्यवहार दर्शित करता है, पूर्णरुपेण विश्ले-ाण किया जाएगा और उसे तुरंत ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार और चिड़ियाघर प्रशासन के निदेशों के अनुसार चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी ।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर पशु की, चिड़ियाघर द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से तैयार की गई लिखित अनुसूची के अनुसार परजीवियों के लिए जांच की जाएगी और चिकित्सीय अपेक्षाओं के अनुसार उसे रोग-निरोधी औ-ाधियां दी जाएगी और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित अनुसूची के अनुसार संक्रामक रोगों के प्रति उनका टीकाकरण भी किया जाएगा ।

(9) चिड़ियाघर के पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल में अंतर्वलित सभी कर्मचारिवृंद की प्रत्येक व-र्ा में एक बार चिड़ियाघर वि-ायक रोगों के लिए जांच की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को जिनमें संक्रामक रोगों के लक्षण पाए जाते हैं, तब तक उचित उपचार प्रदान किया जाएगा जब तक कि वे ठीक न हो जाए और संक्रमण से पूरी तरह मुक्त न हो जाए तथा ऐसे उपचार की अवधि के दौरान संक्रमित कर्मचारियों को उनके पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल के उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जाएगा ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशु के जैव और सामाजिक व्यवहार तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति के, जिनके अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों के अनुसार भोजन की मात्रा, देखभाल करने वाले व्यक्ति की डायरी में यथा उपदर्शित उपलब्ध कराई गई औ-ाधि और उपचार, दैनिक रिपोर्टें, पशु का परिचर्या पत्र तथा उपचार पत्र भी हैं, संप्रेक्षणों के ब्यौरेवार अभिलेख रखे जाएंगे ।

IndiaCode

6. पशु चिकित्सा और अवसंरचना सुविधाएं

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर , --

(क) के पास चिड़ियाघर में पशुओं के आकार और उनकी किस्मों के संग्रह से संगत पशु चिकित्सा सुविधाएं होंगी ;

(ख) के पास एक पूर्णरुपेण पशु चिकित्सा इकाई होगी, जो सभी आधारिक नैदानिक प्रसुविधाओं, औ-धियों की व्यापक श्रेणी शल्य चिकित्सा केंद्र और अंतःरोगी वार्ड से युक्त होगी ;

(ग) परंतु लघु चिड़ियाघर में कम से कम एक उपचार कक्ष की प्रसुविधा होगी ।

(2) कोई भी चिड़ियाघर तब तक किसी आधुनिक और मंहगे नैदानिक उपस्करों का अर्जन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास उनके प्रचालन और उपयोग करने के लिए पर्याप्त तकनीकी रूप से अर्हित जनशक्ति न हो ।

(3) लघु चिड़ियाघर को छोड़कर प्रत्येक चिड़ियाघर में शव-विच्छेदन कक्ष, एकांत वार्ड, करंतीन वार्ड, पशु निरोधी और प्रशान्तक उपस्कर और एक पशु चिकित्सा देखभाल निर्देश पुस्तकालय होगा ।

(4) किसी भी पशु की प्रशान्ति, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों का अनुपालन करते हुए की जाएगी ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, प्रत्येक चिड़ियाघर में नीचे सारणी में विनिर्दि-ट पशु चिकित्सा समर्थनकारी कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :--

क्रम सं.	समर्थनकारी कर्मचारिवृंद	बड़ा चिड़ियाघर	मध्यम चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IndiaCode

1.	प्रयोगशाला सहायक	1	1	-
2.	स्टाक मेन या कपाउंडर	2	1	1

परंतु किसी लघु चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर के पशुओं की देखरेख और भोजन के लिए कम से कम एक पूर्णकालिक कर्मचारी होगा ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के उद्देश्यों से वन्य जीव स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात संस्थाओं और संगठनों से संपर्क रखेगा :

(क) गंभीर प्रकृति के रोगों के वैज्ञानिक निदान में सहायता और प्रभावी चिकित्सा उपचार संबंधी सलाह ;

(ख) चिड़ियाघर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण और उनकी तकनीकी कौशल का उन्नयन करने ; और

(ग) निवारक ओ-धियों और टीकाकरण के लिए नयाचार विकसित करने ।

IndiaCode

7. पशुओं की लाशों का शव परीक्षण और निपटान

(1) चिड़ियाघर में मरने वाले प्रत्येक पशु की मृत्यु के कारण को निश्चायक रूप से अवधारित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक द्वारा विस्तृत शव परीक्षण किया जाएगा ।

(2) उप पैरा (1) में निर्दि-ट शव परीक्षण के नि-क-र्ा, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा यथाविहित प्ररूप में अभिलेख होगा और इस संबंध में उसको छह व-र्ा से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा ।

(3) शव परीक्षण के अनिश्चायक होने की दशा में और मृत्यु के किसी विशे-ा कारण का नहीं पता चलने पर चिड़ियाघर प्राधिकरण, उत्तकों और अंगों, रक्त, आन्तरांग आदि के नमूने को आगे

और परीक्षा के लिए ऐसी अर्हताप्राप्त नैदानिक प्रयोगशाला को भेजा जाएगा, जिसके पास आगे और अन्वे-ाण के लिए और मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए पर्याप्त विशे-ाज्ञता है ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं के शवों को, उनके शव परीक्षण किए जाने के पश्चात्, दफन करके या ऐसी रीति में जलाकर व्यनित किया जाता है, जिससे चिड़ियाघर की स्वच्छता और सफाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े :

परंतु बड़ी बिल्लियों के शवों को चिड़ियाघर के निदेशक या उससे अगली पंक्ति के और इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए, किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जलाकर व्यनित किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे पशुओं के शवों को, जिनकी मृत्यु एन्थ्रेक्स या ऐसे किन्हीं अन्य संक्रामक रोगों के कारण हुई है, नहीं खोला जाएगा और रोगों के फैलने के विरूद्ध सुरक्षोपाय के रूप में शव परीक्षण किया जाएगा । उनको उसी रूप में दफना दिया जाएगा ।

IndiaCode

8. पशुओं के लिए सुखमृत्यु

(1) चिड़ियाघर के किसी भी पशु को तब तक सुख मृत्यु प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा करना अन्य पशुओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक न हो अथवा ऐसा पशु को अनावश्यक पीड़ा या क-ट से मुक्त कराने के लिए आवश्यक न हो और जब कभी ऐसी अत्यावश्यकताएं सामने आती हैं, तब केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

9. पशुओं का अर्जन और प्रजनन

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को ऐसे लिंग अनुपात में रखने और उसे बनाए रखने का प्रयास करेगा, जो प्रजनन को अनुकूल बनाए और प्रत्येक प्रजाति की स्व-पो-ाणीय जनसंख्या विकसित करने में सहायता करे ।

(2) चिड़ियाघर की जनसंख्या में अंतःप्रजनन के बुरे प्रभावों के विरूद्ध सुरक्षोपाय के रूप में, चिड़ियाघर, अन्य चिड़ियाघरों से आदान-प्रदान, उधार पर लेने और उपहार रूप में प्राप्त करने के माध्यम से चिड़ियाघर के स्टॉक में असंबंधित पशुओं को रखने के लिए प्रयास करेगा ।

(3) कोई भी चिडियाघर तब तक किसी एकल पशु या पशुओं की अनुवांशिक रूप से जीवनक्षम संख्या को अर्जित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अर्जन एकल पशुओं का जोड़ा बनाने या समूह को अनुवांशिक जैविक रूप से जीवनक्षय बनाने के लिए आवश्यक न हो ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, एकल और बिना जोड़े के पशुओं के लिए पुर्विकता के आधार पर साथी अर्जित करने के लिए प्रयास करेगा और उस दशा में जहां कोई चिड़ियाघर छह महीने के अवधि के भीतर एकल और बिना जोड़े के पशुओं के लिए साथी अर्जित करने में असफल रहता है, बिना जोड़े वाले या एकल पशु को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार किसी अन्य चिड़ियाघर को स्थानांतरित किया जाएगा या उनका आदान-प्रदान किया जाएगा या प्रजनन के लिए उधार रूप में दिया जाएगा ।

(5) एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं के परिवहन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट मानकों का अनुपालन किया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, अधिमानतः, प्रजातियों की वितरण श्रेणी के लिए निकटतम तकनीकी सक्षमताएं और आवास प्रसुविधाएं रखने वाले पहचान किए गए चिडियाघरों को पहचान की गई अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण संबंधी प्रजनन का उत्तरदायित्व सौंपेगा और प्रत्येक चिड़ियाघर प्रजनन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पहचान किए गए चिड़ियाघरों की सहायता करेगा ।

(7) प्रजनन जनसंख्या से अधिक के पशुओं को, चिड़ियाघरों में उपलब्ध आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की क्वालिटी के आधार पर प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए अभिदाय करने वाले चिड़ियाघरों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(8) अंतः प्रजनन को रोकने तथा परसंयुग्मकता की हानि की दृ-टि से प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गए संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं के पूर्ववृत्त पत्र और वंशावली तथा झुंड पुस्तिका रखेगा तथा समुचित पहचान चिन्ह लगाएगा और अन्य चिड़ियाघरों को स्थानांतरित तथा आदान- प्रदान ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण उनके दीर्घकालिक जीवन के हित पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए, लिंगों को पृथक करने, नसबंदी, टयूबकटोमी और पेलेट का

प्रत्यारोपण आदि करने जैसे समुचित जनसंख्या नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करके चिड़ियाघर की पशु संग्रहण योजना द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर प्रत्येक जाति के पशुओं की संख्या को सीमित करने के लिए प्रयास करेगा ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के परिसरों से चिड़ियाघर के पशुओं को भागने से रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षोपाय करेगा और दुर्घटनावश किसी पशु के भाग जाने की दशा में भागे हुए पशु की पुनः प्राप्ति के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी ।

(11) कोई भी चिड़ियाघर, किसी बंधक रखे गए पशु को, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार ही जंगल में छोड़ेगा ।

(12) प्रत्येक चिड़ियाघर यह सुनिश्चित करेगा कि चिड़ियाघर में प्रजातियों या समान प्रजातियों की जातियों का संकरण न हो ।

IndiaCode

10. अनुसंधान क्रियाकलाप -- प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं को जीवन की बेहतर क्वालिटी, दीर्घायु, उच्चतर आनुवंशिक और व्यवहार संबंधी जीवनक्षमता और बेहतर प्रजनन संभावनाएं उपलब्ध कराने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार करने के लिए सहायक अनुसंधान करने के लिए प्रयास करेगा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लघु चिड़ियाघरों को छोडकर प्रत्येक चिड़ियाघर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दि-ट सन्नियमों के अनुसार, चिड़ियाघर में रखी गई प्रजातियों का सामाजिक व्यवहार, समूह सक्रियता और प्रजनन संबंधी जीव विज्ञान पर स्प-ट रूप से डाटा अभिलिखित करने के लिए और अन्य चिड़ियाघरों तथा पहचानी गई संस्थाओं के साथ बांटने करने के लिए एक डाटाबेस विकसित करने की व्यवस्थाएं करेगा ।

11. शिक्षा और पहुंच बनाने संबंधी क्रियाकलाप - (1) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के दर्शकों और साधारण जनता को जनता के साधारण कल्याण के लिए और प्रकृति की जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने के लिए वन्य जीवन संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करेगा और जनता को चिड़ियाघरों द्वारा इस संबंध में निभाई गई भूमिका तथा ऐसे मार्गों और उपायों के

बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रयास करेगा, जिनके माध्यम से साधारण जनता इस उद्देश्य की पूर्ति में भागीदारी कर सके और सहयोग दे सके ।

(2) शैक्षणिक क्रियाकलाप के भागरूप में पशुओं का भौतिक रूप में हैडलिंग या उनके द्वारा कला प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. दर्शकों के लिए प्रसुविधाएं

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, चिड़ियाघर में उचित और सुगम स्थानों पर दर्शकों के लिए पर्याप्त नागरिक प्रसुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसमें शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रसुविधाएं सम्मिलित होंगी और ऐसी प्रसुविधाओं को इस प्रकार अवस्थित किया जाएगा कि वे बाड़ों के दृश्य को ढक या प्रभावित न करें ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर में प्राथमिक चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनके अंतर्गत सर्प वि-ारोधी और जीवन रक्षक औ-ाधियां सम्मिलित होंगी, जो चिड़ियाघर परिसर में तुरंत उपलब्ध होंगी ।

(3) प्रत्येक चिड़ियाघर, विभिन्न पशु बाड़ों में वन्य जीवों को देखने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करेगा ।

[फा.सं. 5–1/2009–डब्लू. एल. I]

(अनमोल कुमार)

उप महानिरीक्षक (वन्यजीव)

IndiaCode

IndiaCode

प्ररुप-I

[नियम 3 और 8 देखिए]

धारा 38ज (उपधारा 2) के अधीन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से
मान्यताप्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
एनेक्सी सं0 VI , बीकानेर हाउस,
शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110011

IndiaCode

हम.....के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ज के अधीन मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं । केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में रु. का बैंक ड्राफ्ट भी संलग्न किया गया है । के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :--

1. चिड़ियाघर का नाम :
2. चिड़ियाघर का अवस्थान और स्त्रोत :
3. स्थापना की तारीख :
4. चिड़ियाघर प्रचालक का नाम और पता :
*5. पिछले तीन व-र्ा (व-र्ा वार) के दौरान चिड़ियाघर के दर्शकों की कुल संख्या :
*6. कैलेन्डर व-र्ा के दौरान, चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोले गए दिन की कुल संख्या :
7. चिड़ियाघर द्वारा प्रदर्शित किए गए पशुओं/प्रजातियों की संख्या :

चालू वित्तीय व-र्ा के दौरान स्टाफ स्थिति			
प्रजातियों की संख्या	पूर्ववर्ती व-र्ा के अंत में स्टाक स्थिति	जन्म/अर्जन/मृत्यु/व्ययन	आवेदन की तारीख को स्टाक
स्तन पापी			
पक्षी			
सरीसृप			
अभयचर			
मछलियां और			
अकशेरुकी			

8. बाड़ो की कुल संख्या :

(i) खुले बाड़ों की संख्या :

(ii) बंद पिंजरे/दड़बों की संख्या :

9. पिछले तीन व-ा के दौरान प्रजनित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची

10. पशु चिकित्सा सुविधाएं :

(क) पूर्णकालिक पशु चिकित्सक उपलब्ध है या नहीं :

(ख) पशु चिकित्सा अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं :

1. आपरेशन थिएटर/शल्य कक्ष
2. एक्स-रे सुविधा
3. स्क्वीज पिजरे
4. अंतरंग रोगी बाड़े
5. करंतीन वार्ड और संगरोध वार्ड
6. डिस्पेंसरी
7. पशुचिकित्सा को निर्दि-ट करने वाली लाइब्रेरी
8. पशुओं के बच्चों के लिए नर्सरी
9. रोगविज्ञान प्रयोगशाला
10. प्रशान्तक उपकरण/औ-ाधियां
11. शवपरीक्षा कक्ष

12. क्या चिड़ियाघर में निम्नलिखित सुविधाएं हैं :

(क) रसोई

(ख) खाद्य भंडार

(ग) डीप फ्रिज

(घ) सुवाह्य पेय जल सुविधाएं

(ङ) भोजन वितरण करने का वाहन/रिक्शा आदि

11. सफाई देखरेख और रोग नियंत्रण :

क्या :

(i) पशुओं के लिए प्रदू-ाण मुक्त पेय जल उपलब्ध है ? (ii) बाड़ों में उपयुक्त जल निकासी प्रणालियां हैं ? (iii) कूड़ा-कचरे का निपटान नियमित रूप से किया जाता है ? (iv) कीट और परभक्षियों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम है ? (v) कृमिहरण और टीका लगाने जैसे निवारक उपायों की व्यवस्था की जा रही है ?

12. दर्शकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं :

क्या--

(क) प्रसाधन/स्नानगृह जैसी जन सुविधाएं हैं ?

(ख) पेयजल नलों की संख्या पर्याप्त है ?

IndiaCode

(ग) दर्शक सूचना केन्द्र तथा प्रकृति व्याख्या संबंधी केन्द्र है ?

(घ) चिड़ियाघर संबंधी शिक्षा देने की सुविधाएं हैं ?

(ङ) सार्वजनिक टेलीफोन बूथ उपलब्ध हैं ?

(च) चिड़ियाघर में छतरीयां और रेस्तरां उपलब्ध हैं ?

13. दर्शकों के लिए सुरक्षा के उपाय :

क्या--

(क) बाड़ों के चारों और प्रभावी स्टैंड-आफ बैरियर उपलब्ध कराए गए हैं ?

(ख) चेतावनी साइन बोर्ड पर्याप्त संख्यां में हैं ?

(ग) प्राथमिक उपचार उपलब्ध हैं ?

14. पिछले तीन व-र् के लिए चिड़ियाघर का बजट, राजस्व कुल व्यय :

15. वार्-िक रिपोर्ट, मार्गदर्शक पुस्तकें, विवरणियां या कोई अन्य प्रकाशन (प्रतियां संलग्न हैं)

16. चिड़ियाधर का मास्टर प्लान/विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की व्याख्या (प्रति संलग्न है)

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

तारीख :

बचाव केन्द्र और प्रजनन संरक्षण केन्द्र से जानकारी का प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

IndiaCode

भाग-ख

वार्षिक सूची रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

व-र्ा के लिए सूची रिपोर्ट :

संकटग्रस्त प्रजातियों से भिन्न

क्रम सं0	पशु का नाम	वैज्ञानिक नाम	1-4- को आरंभिक स्टाक				जन्म			प्राप्ति			व्ययन			मृत्यु			31-3- को अंतिम स्टाक			
पक्षी			एम	एफ	यू	टी	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	टी
1. 2. …….																						
कुल पक्षी																						
स्तनपायी 1. 2. ….																						
कुल स्तनपायी																						
सरीसृप/उभयचर 1. 2. …..																						
कुल सरीसृप/ उभयचर																						
अकशेरुकी 1. 2. ……																						
कुल अकशेरुकी																						
कुल पशु																						
संग्रहाध्यक्ष (पशु)																			निदेशक			

IndiaCode

प्ररुप- II

[नियम 11(1) देखिए]

भाग-क

तिमाही/वार्षिक सूची रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

तिमाही/व-र्ा के लिए सूची रिपोर्ट

संकटग्रस्त प्रजातियों *

क्रम सं0	पशु का नाम	वैज्ञानिक नाम	आरंभिक स्टाक				जन्म			प्राप्ति			व्ययन			मृत्यु			 को अंतिम स्टाक			
पक्षी			एम	एफ	यू	टी	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	टी
1. 2.																						
कुल पक्षी																						
स्तनपायी 1. 2.																						
कुल स्तनपायी																						
सरीसृप/उभयचर 1. 2.																						
कुल सरीसृप/ उभयचर																						
अकशेरुकी 1. 2.																						
कुल अकशेरुकी																						
कुल पशु																						

* वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची - I और अनुसूची - II के अधीन पशु संग्रहाध्यक्ष (पशु)

निदेशक

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2009/कार्तिक 20, 1931
No. 643] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2009/KARTIKA 20, 1931

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 10th November, 2009

NOTIFICATION

G. S. R. 807 (E).____ In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of Sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and in supersession of the Recognition of Zoo Rules, 1992, except as in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely; :-

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Recognition of Zoo Rules, 2009.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Definitions

In these rules unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
(b) "Central Zoo Authority" means the Central Zoo Authority constituted under section 38A of the Act;
(c) "Conservation Breeding Centre" means the facility specially dedicated to planned conservation breeding of an endangered species of wildlife.
(d) "Enclosure" means any accommodation provided for zoo animals.

(e) "Enclosure barrier" means a physical barrier to contain an animal within an enclosure.
(f) "Endangered Species' means species included in Schedule I and Schedule II of the Act.
(g) "Critically endangered species' means an endangered species whose total number in all the zoos in the country put together does not exceed 200.
(h) "Form" means a form appended to these rules.
(i) "Performance" means any effort to force the animal to carry out unnatural act including performance of circus tricks.
(j) "Rescue Centre" means an establishment for the long-term care of animals specified in the Schedules to the Act.
(k) "Stand-of-barrier" means a physical barrier set back from the outer edge of an enclosure barrier.
(l) "Zoo Director'" means an in-charge of the zoo with whatever designation, responsible for day to day management of the zoo.
(m) "Zoo Operator" means the person who has ultimate control over the affairs of the zoos provided that_____

I. in the case of a firm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof; or
II. in the case of a company, any director, manager, secretary or other officer, who is in-charge of and responsible to the company for the affairs of the zoo ; or
III. In case of zoo owned or controlled by the Central Government or any State Government or Union Territory Administration or any Trust or Society funded by the Central Government or a State Government or a Union Territory Administration, the Secretary of the concerned Department of that Government, or as the case may be the Union Territory Administration, shall be deemed to be the Zoo Operator.

India Code

3. Application for Recognition

(1) An application for recognition of a Zoo under section 38H of the Act, shall be made to the Central Zoo Authority in Form I.
(2) An application for obtaining prior approval of the Central Zoo Authority under sub-section (1A) of section 38H of the Act for establishment of a new zoo shall be made to the Central Zoo Authority in Form I along with the a detailed project report.

4. Fees for Application

There shall be paid in respect of every application made under rule 3, a fee of ten thousand rupees to be paid through Demand Draft or Postal Order in favour of the "Central Zoo Authority, New Delhi".

5. Documents to be filled along with the application and particulars it should contain. --------
Every application under rule 3 shall be accompanied by the fee specified under rule 4 and shall also contain documents and particulars as to the matters specified in Form I.

6. Power to make inquiries and call for information

The Central Zoo Authority may, before granting recognition to a zoo under Section 38H of the Act, make such inquiries and ask for from the applicant such further information, as it may considers necessary.

7. Form of recognition ------ (1) The Central Zoo Authority may, on being satisfied with regard to sufficiency of facilities and standards in the zoo, grant recognition to such zoo.

(2) The recognition granted to a zoo under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely;

(a) that the recognition unless granted on a permanent basis, shall be for such period not less than one year as may be specified in the recognition.

(b) that the zoo shall comply with such standards and norms as are, or may be specified or imposed, by or under the provisions of the Act or the rules made thereunder; and

(c) the zoo shall comply with the directions and guidelines issued by the Central Zoo Authority from time to time, for the purpose of maintenance and upkeep of the zoo.

8. Renewal of recognition ------ (1) A zoo, recognized under these rules, shall make an application to the Central Zoo Authority in Form I three months before the expiry of the period of recognition..

(2) The provisions of rule 3, rule 4, rule 5, rule 6 and rule 7 shall apply in relation to renewal of recognition as they apply in relation to grant of recognition except that the fee payable in respect of an application for renewal of recognition shall be five thousand rupees.

9. Classification of zoos. ------- (1) For the purposes of deciding standards and norms for recognition of zoo and monitoring and evaluating its performance, the zoo, on the basis of area, number of visitors, number of species and animals, endangered species and number of animals of endangered species in its collection shall be taken into consideration and the zoo shall accordingly be classified into following four categories as specified in the Table, namely:-

IndiaCode

S. No.	Category of zoo	Criteria for Qualifying to the category					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Area of the zoo (hectares)	**No. of visitors in a year (in lakhs)**	**No. of species**	**No. of animals**	**No. of endangered species**	**No. of animals of endangered species**
1.	Large	75	7.5	75	750	20	100
2.	Medium	35	3.5	35	350	10	50
3.	Small	10	1.0	10	100	3	15
4.	Mini	Less than 10	Less than 1.00	Less than 10	Less than 100	--	----

(2) The zoo which meets at least any four of the aforesaid criteria (but including number of species and number of animals) shall be classified as such by the Central Zoo Authority.

Provided that the Central Zoo Authority may, by order in writing, allow a mini zoo to keep animals of endangered species subject to the conditions, if any, laid down in that order with regard to the area of the zoo, housing, upkeep and healthcare facilities including deployment of veterinarian and supervisory level staff.

10. Standards and norms for recognition.-----

The Central Zoo Authority shall grant recognition to a zoo, with due regard to the interest of protection and conservation of wildlife, and on being satisfied that the standards and norms and other matters specified in the Schedule are met by such zoo:

Provided that the Central Zoo Authority may, if it considers appropriate, and for reason to be recorded in writing, grant recognition, with conditions, if any, to such zoo which have shown considerable improvement in the past and have the potential and resources to come up to the prescribed standards and norms within a reasonable time frame and are willing to do so. Such an action would lead to qualitative improvement in the zoos, and avoid logistic problems arising due to the closure of the zoos on the basis of their present status.

11. Maintenance of Records and submission of Inventory

(1) Every zoo shall maintain record of the births, acquisitions, deaths and disposals of animals of each species in its collection in the manner and in the format determined by the Central Zoo Authority and the inventory of the animals in the collection of each zoo, along with the details mentioned above for each financial year shall be submitted to the Central Zoo Authority by 30th day of April of the ensuing year in Form II.

Provided that the details in respect of the animals pertaining to the species included in Schedule I and Schedule II to the Act, along with the detailed reasons of death identified on the basis of the post-mortem examination reports shall be submitted to the Central Zoo Authority every quarter, within a period of fifteen days of the end of that quarter.

(2) Every zoo shall submit an annual report of its activities and compliance of the conditions stipulated by CZA for each financial year to the Central Zoo Authority by the 30th day of June of the year.

IndiaCode

THE SCHEDULE

[See rule 10]

1. General requirements.---------

(1) Every zoo shall endeavour to establish and sustain population of physically, genetically and behaviorally healthy animals for furthering the cause of wildlife conservation and communicating credible conservation message to the visitors through display of healthy animals in naturalistic settings.

(2) Every zoo shall, through proper landscaping and planting of appropriate species, provide a naturalistic environment within the zoo to enable the visitors to have communion with nature and get motivated for living in harmony with nature.

(3) Every zoo shall endeavour to regulate the movement of visitors in the zoo in such a manner that zoo animals are not unduly disturbed, stressed or provoked and the zoo shall be closed to visitors at least one day in a week.

(4) Every zoo, as a safeguard against the un-regulated access of visitors to the zoo and zoo animals being subjected to injury, pilferage and predation, shall design appropriately the barriers along the boundary of the zoo in accordance with the standards issued by the Central Zoo Authority in this regard.

(5) Every zoo, which is surrounded by human landscape shall be encompassed by a perimeter wall of at least two meter in height from the ground level on both sides.

(6) No residential colony shall be constructed within the zoo premises.

Provided that where such colonies already exist, it shall be separated from the zoo premises by a boundary wall with a minimum height of two meters from the ground level. The entry to the residential colony shall not be through the zoo premises.

(7) Every zoo shall carry out its operations in a manner that causes minimum stress on natural resources and produces the minimum of solid wastes and effluents and the zoo shall also endeavour to put in place the practices of effective waste management through reducing, reusing and recycling and disposing the effluents and the solid wastes in a manner that causes least adverse environmental impact.

(8) Every zoo shall refrain from display of sick, injured, infirm and tethered animals to the visitors and such animals shall be housed in off-display facilities specially earmarked for and providing appropriate upkeep and healthcare for such animals

(9) Every zoo shall refrain from housing of domestic animals and pets within the zoo premises and adequate safeguards shall also be put in place to prevent the entry of domestic livestock, stray animals and pets into the premises of the zoo.

2. Administrative and Staffing Pattern

(1) The zoo operators shall post an officer of appropriate rank as "whole time in-charge" of the zoo with powers to take decision and ensure that adequate financial resources and infrastructural support is made available to such officer for proper housing, upkeep and healthcare of the zoo animals and managing the zoo in a planned manner.

IndiaCode

(2) Every zoo operator shall provide adequate scientific and technical staff to support the officer-in-charge of the zoo in carrying out the responsibilities of housing, upkeep and healthcare of zoo animals, research and visitor education as specified in the Table below, namely:

S. No.	Category of Staff	Large Zoo	Medium Zoo	Small Zoo	Mini Zoo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Curator	1	1	1	Mini Zoos shall avail the assistance of appropriately qualified individuals available locally
2.	Veterinarian	2	1	1	
3.	Education Officer	1	1	1	
4.	Biologist	1	1		

(3) In cases the scientific and technical posts are filled by direct recruitment, the recruitment rule for such posts shall provide for their carrier progression including the benefit of flexible complementing scheme for their promotions.

3. <u>Development and Planning</u>

(1) Every zoo shall prepare and get the master plan approved by the Central Zoo Authority

(2) Zoos which are in operation at the time of the commencement of these rules, shall prepare and get the master plans approved from the Central Zoo Authority within one year from the date of commencement of these rules.

(3) The master plan referred to in sub-paragraphs (1) & (2), shall inter alia, include all round development of the zoo for a period of twenty years which shall be revised every ten years along with a detailed layout plan prepared on the basis of the theme adopted by the zoo, indicating the locations of green belts, lawns, gardens, animal display area, visitor facilities, support infrastructure for animal upkeep and healthcare, buildings for administrative and maintenance unit.

(4) Atleast 30% of the area earmarked for the zoo shall be kept under green belt and natural vegetation and the area for animal housing shall not exceed 30% area of the zoo.

(5) Every zoo shall take adequate care to locate and design all *'pucca*' buildings including the visitor facilities in such a manner that the natural landscape of the zoo and animal enclosures are not masked and the cleanliness and hygiene of the zoo is not affected.

(6) Every zoo shall, in consultation with the Central Zoo Authority, prepare a collection plan indicating the names of the species and maximum number of animals of each species to be housed in the zoo, having due regard to the congeniality of the climatic conditions of the locality for the general health and well being of the species, availability of the space and infrastructural support for proper upkeep and healthcare of the species, proximity of the zoo to the habitat range of the species and the past record of the zoo in management and breeding of the species and no zoo shall compromise on housing and upkeep standards of animals for accommodating new species or additional animals of the species in its collection.

(7) No zoo shall accept any rescued animal unless it has appropriately designed enclosure and upkeep facilities for the animal as well as the facilities for keeping it in isolation during quarantine period.

(8) Whenever any zoo decides to accept any rescued animal for housing, a detailed report regarding the source from which the animal has been received, legality of its acquisition and the facilities available at the zoo for housing, upkeep and healthcare shall be sent to the Chief Wildlife Warden of the State.

Provided that in case, the rescued animal pertains to an endangered species a copy of the report shall also be sent to the Central Zoo Authority.

(9) Any decision of the Central Zoo Authority about any animal being sent to a particular zoo for augmenting the number of founder animals for the conservation breeding programme of the species shall be binding on the concerned zoo.

4. Animal housing, display of animals and animal enclosures

(1) Every zoo shall endeavour to display the animals in nature immersing enclosures.

(2) The designs and dimensions of every enclosure shall be determined having due regard to the biological behaviour of the species and the number of animals to be housed therein as per the standards specified by the Central Zoo Authority in this regard from time to time.

(3) The zoo shall ensure that the enclosure is safe and secure for the animals, animal keepers and the visitors and has requisite space for free movement, exercise and expression of natural behaviour by the animals.

(4) Adequate space shall also be made available to the animals in order to maintain safe distance from the dominant animals in the group or herd.

(5) No zoo shall display any animal in the enclosure that is not in accordance with the standards specified by the Central Zoo Authority in this regard.

(6) Every zoo shall make special efforts to enrich the environment of the enclosure to meet the species specific behavioural requirements of the animals in accordance with the standards specified by the Central Zoo Authority.

(7) Adequate screening shall be provided between adjacent enclosures to safeguard against the animals getting unduly excited or stressed due to visibility of animals housed in these enclosures

(8) No new enclosures for endangered species shall be constructed without prior approval of the Central Zoo Authority.

(9) Every zoo shall provide appropriately designed and effective stand off barriers at every animal display enclosure to regulate the movement of visitors in the zoo in a manner that facilitates the visitors in getting unobstructed view of wild animals, without reaching in the vicinity or proximity of the animals and getting the opportunity to physically touch or provoke the animals and shall also display adequate sign boards so as to give warning to the visitors to keep a safe distance from the animals.

(10) Every zoo shall provide appropriate signage with relevant information on the biology, behaviour and the population status of the species in the wild at every display enclosure.

Provided that large and medium zoos shall endeavour to provide interactive interpretation facilities for the purpose of explaining behaviour and biology of the species displayed in the enclosure.

5. Upkeep and healthcare of animals

(1) Every zoo shall house and maintain the animals in its collection in socially and behaviourally viable groups. No animal shall be separated from the group unless doing so is necessary for the security and welfare of the animal or other animals in the group.

Provided that the animals, so separated, shall be housed in accordance with standards specified by the Central Zoo Authority in this regard.

(2) Every zoo shall endeavour to provide all the animals in its collection timely supply of quality food of such a composition and in such quantities that nutritional and behavioural requirement of each animal are fully met and adequate safeguards shall be taken to ensure that no animal remains under-nourished on account of dominant animals not permitting other animals getting their share of the feed and the zoo operator shall ensure round the clock supply of potable water to all the animals in the zoo.

(3) The timing of distribution of food, placement of food and way of distribution of food to the animals shall be regulated in such a manner that the animals get maximum opportunity to express natural instincts and skills and behaviour related to feeding.

(4) As a safeguard against feral animals, free ranging wild animals and scavengers sharing the feed of the zoo animals, each animal shall be provided feed in the feeding cells/ kraals specially earmarked for the

purpose and such feeding cells and kraals shall be so designed that these can also serve as indoor enclosures for the animals during extreme weather conditions as well as for secure stay during the nights:

Provided that the dimensions and designs of the feeding cells and kraal shall be as per the standards specified by the Central Zoo Authority.

(5) Every zoo operators shall ensure that the left over feed, excreta of animals and all other wastes are removed promptly from the feeding cells and kraals and the feeding cells and kraals are washed and disinfected as per the advice of the authorized veterinary officers and the solid and the liquid waste generated during the process shall be disposed off in such manner that has no adverse impact on the hygiene and cleanliness of the zoo and the landscape surrounding the zoo.

(6) The curatorial and the veterinary staff shall keep a close watch on the general behaviour and health parameters of the zoo animals. The animals shall be handled only by the staff having experience and training in handling the individual animals.

(7) Any animal that shows any sign of dullness, loss of appetite, injury or abnormal behaviour shall be thoroughly assessed and provided medical attention promptly as per the standards specified by the Central Zoo Authority in this regard from time to time and the direction of the Zoo administration.

(8) Every zoo animals shall be screened for parasitic loads as per written schedule prepared by the zoo in consultation with the veterinary officer and prophylactic medicines administered as per clinical requirements and vaccination of animals against infectious diseases shall also be done, as per the schedule prescribed by the Veterinary Officer from time to time.

IndiaCode

(9) All staff involved with upkeep and healthcare of zoo animals shall be screened against zoonotic diseases once every year and those found positive to any communicable disease shall be provided appropriate treatment till they get cured and freed of the infection and during the period of such treatment, the infected employees shall be kept away from the responsibility of upkeep and healthcare of the animals.

(10) Every zoo shall maintain detailed records of observations of biological and social behaviour and health status of the animals including feed intake, medication and treatment provided in the keeper's diary, daily reports, animal history cards and treatment cards, as per standards specified by the Central Zoo Authority.

6. Veterinary and infrastructure facilities

(1) Every zoo shall, ------

(a) have veterinary facilities appropriate to the size and type of the animal collection of the zoo;
(b) have a full fledged veterinary unit with all basic diagnostic facilities, comprehensive range of drugs, operation theatre and in-patient wards.
(c) Provided that a mini zoo shall have at least facilities of a treatment room.

(2) No zoo shall acquire sophisticated and costly diagnostic equipments unless there is adequate technically qualified manpower to operate and use the same.

(3) Every zoo, except mini zoo, shall have a postmortem room, isolation ward, quarantine ward, animal restraining and tranquilizing equipments and a veterinary care reference library.

(4) Tranquilization of any animal shall be done exercising utmost care and following the standards specified in this regard by the Central Zoo Authority from time to time.

(5) Every zoo operator shall provide each zoo the veterinary support staff as specified in the Table below; namely:-

IndiaCode

S. No.	**Support Staff**	**Large zoo**	**Medium zoo**	**Small zoo**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lab. Assistant	1	1	-
2.	Stockman or compounder	2	1	1

Provided that a Mini zoo shall have atleast one whole time employee to take care of upkeep and feeding of the zoo animals.

(6) Every zoo shall have linkages with the eminent institutions and organizations working in the field of wild animal healthcare with the objectives to provide for:

(a) the assistance in scientific diagnosis of diseases of serious nature and advise on the effective remedial treatment.
(b) the training and upgrading technical skills of zoo staff; and
(c) the development of protocols for preventive medicines and vaccination

7. Post-mortem and disposal of carcasses of animals

(1) Every animal died in the zoo shall be subjected to a detailed postmortem examination by registered veterinarian to determine conclusively the cause of the death.

(2) The findings of the post-mortem examination referred to in sub-paragraph (1) shall be recorded in such format as may be prescribed by Central Zoo Authority and in this regard and shall be maintained for a period of not less than six years.

(3) In the event of the post mortem being inconclusive and no specific reason for death is identified, the zoo authorities shall send the samples of the tissues and organs, blood, viscera etc. for further examination to the qualified diagnostic laboratory having adequate specialization for further investigation and identifying the cause of death.

(4) Every zoo shall ensure that the carcasses of the animals, after the post-mortem has been conducted, is disposed off by burying or burning in a manner that does not have any adverse impact on the hygiene and cleanliness of the zoo:

Provided that the carcasses of large cats shall be disposed off by burning in the presence of the Director of the zoo or any officer in the next rank to him and authorized by him in this behalf:.

Provided further that the carcasses of animals died due to Anthrax or such other communicable diseases shall not be opened and subjected to post-mortem, as a safeguard against spread of the disease. These shall be buried intact.

8. Euthanasia of the animals

(1) No animal in the zoo shall be euthanized unless doing so is essential for the health of other animals or relieving the animal from unnecessary suffering or agony and whenever such exigencies arrives, action may be taken in accordance with the norms specified by the Central Zoo Authority in this regard.

9. Acquisition and breeding of animals

(1) Every zoo shall endeavour to keep and maintain animals of various species in their collection in such a sex ratio that optimizes breeding and helps in developing a self-sustaining population of each species.

(2) To safeguard against ill effects of inbreeding on the zoo population, the zoo shall endeavour to introduce unrelated animals to zoo stock through exchange, loaning and getting gifts of animals from other zoos.

(3) No zoo shall acquire single animal or genetically non-viable number of animals unless such acquisition is necessary for pairing of single animals or making the group genetically/ biologically viable.

(4) Every zoo shall endeavour to acquire mates for single and unpaired animals on priority basis and in the event of any zoo failing to find a mate for single and unpaired animal within a period of six months, the unpaired or single animal shall be transferred or exchanged or given on breeding loan to any other zoo in accordance with the norms specified by the Central Zoo Authority in this regard.

(5) For the purpose of transportation of animals from one place to another, the standards specified in this regard by the Central Zoo Authority shall be complied with.

(6) The Central Zoo Authority shall assign the responsibility of conservation breeding of the identified critically endangered species to identified zoos having technical capabilities and housing facilities, preferably close to the distribution range of the species and every zoo shall help the identified zoos in implementing the breeding programme.

(7) The surplus animals from the breeding population shall be made available to the contributing zoo for display purposes on the basis of quality of housing and infrastructural facilities available with the zoos.

(8) Every zoo shall, with a view to prevent inbreeding and the loss of heterozygosity, the zoos shall maintain the animal history cards & stud and herd book for the animals of endangered species housed in the zoo and put appropriate identification marks and transfer or exchange animals with other zoos.

(9) Every zoo shall endeavour to limit the number of animals of each species within the limits set by the animal collection plan of the zoo by implementing appropriate population control measures like segregation of sexes, vasectomy, tubectomy and implantation of pellets etc., with due consideration of the health and welfare of the animals and interest of their long term survival.

(10) Every zoo shall take effective measures to safeguard against escape of the zoo animals from the premises of the zoo and in the event of any accidental escape, immediate action shall be taken to retrieve the escaped animals.

(11) No zoo shall release any captive animal into the wild except in accordance with the norms specified by the Central Zoo Authority in this regard.

(12) Every zoo shall ensure that no hybridization of species or races of same species takes place in the zoo.

IndiaCode

10 Research activities --- Every zoo shall endeavor to carry out collaborative research for evolving innovative strategies for providing the animals housed in the zoo a better quality of life, enhanced longevity, higher genetic and behavioural viability and improved reproduction potential and to achieve the said goal the every zoo, other than mini zoos, shall make arrangements for meticulous recording of data on the social behaviour, group dynamics and reproductive biology of the species housed in the zoo and developing a data base to be shared with other zoos and the identified institutions, in accordance with norms specified by the Central Zoo Authority in this regard.

11. Education and outreach activities ---- (1) Every zoo shall endeavour to educate the visitors to the zoo and the people at large about the significance of wildlife conservation for the general well being of the people and keeping the life support system of nature intact and the efforts shall be made to make people aware about the role played by the zoos in this regard and the ways and means through which general public can participate and contribute for the same.

(2) No physical handling or performances by animals shall be permitted as part of educational activity.

12. **Visitors facilities**

(1) Every zoo operator shall provide adequate civic facilities for visitors at appropriate and convenient places in the zoo including for physically disadvantaged persons and such facilities shall be so located that they do not mask or impact the view of enclosures.

(2) Every zoo shall have first aid facilities including snake anti-venom and life saving drugs, readily available in the zoo premises.

(3) Every zoo shall make arrangements for providing access to the handicapped persons for viewing wild animals at various animal enclosures.

[F.No.5-1/2009-WL I]

(Anmol Kumar)
Dy. Inspector General (Wildlife)

IndiaCode

FORM- I

[See rules 3 & 8]

APPLICATION FOR GETTING RECOGNITION FROM THE CENTRAL ZOO AUTHORITY UNDER SECTION 38H (Sub-section 2)

To

The Member Secretary
Central Zoo Authority
Annexe No. VI, Bikaner House,
Shahjahan Road,
New Delhi – 110 011.

We want to get recognition under section 38H of the Wild Life (Protection) Act, 1972 in respect of _____. Bank Draft for Rs._____ drawn in favour of Central Zoo Authority, New Delhi is also enclosed. The required information in respect of _____is as under :

IndiaCode

1. Name of the Zoo:

2. Location and area of the Zoo:

3. Date of Establishment:

4. Name and address of the Zoo Operator:

*5. Total number of visitors to the Zoo during the last three years: (Year wise):

*6. Total number of days on which zoo is open to visitors during a calendar year:

7. Number of animals/ species exhibited by the zoo:

Stock position during the current financial year			
Number of species	**Stock Position on the close of preceding yea**	**Births/ Acquisitions/ Deaths/ Disposal**	**Stock as on the date of application**
Mammals			
Birds			
Reptiles			
Amphibians			
Fishes and			
Invertebrates			

8. Total number of enclosures:

 *(i) Open air enclosures:

 (ii) Closed cages/ aviaries:

9. List of endangered species bred during last 3 years:

10. Veterinary facilities:

 (a) Whole time veterinarian available or not:
 (b) Facilities available in the Veterinary Hospital:

IndiaCode

1. Operation theatre/ Surgical room
2. X-ray facility
3. Squeeze cages
4. In-door patient ward
5. Quarantine ward & Isolation ward
6. Dispensary
7. Veterinary care reference library
8. Nursery for hand-rearing of animal babies
9. Pathological laboratory
10. Tranquilizing equipments/ drugs
11. Post-mortem room
12. Whether the following facilities exist in the zoo:
 (a) Kitchen
 (b) Food store
 (c) Deep freeze
 (d) Portable water facility
 (e) Food distribution van/ rickshaw etc.

11. Sanitary care and disease control:

 Whether:-

(i) Pollution free water to animals for drinking is available? (ii) Proper drainage system exists in enclosures? (iii) Regular disposal of refuse material is done? (iv) Programme for control of pests and predators exists? (v) Preventive measures like deworm and vaccination are being provided?

*12. Amenities to visitors:

Whether:

(a) Public facilities like toilets/ bathrooms exist?
(b) Sufficient number of drinking water taps available?
(c) Visitor information centre and nature interpretation centre exist?
(d) Zoo education facilities have been provided?
(e) Public telephone booths are available?
(f) Kiosks and restaurants are available at the zoo?

*13. Safety measures for visitors:

Whether:-

(a) Effective stand-off barriers have been provided around enclosures?
(b) Adequate number of warning signboards exist?
(c) First-Aid measures are available?

IndiaCode

14. Budget of the Zoo for the last 3 years Revenue Grants Total expenditure:

15. Annual Report, Guide books, Brochure or any other publication (copies enclosed)

16. Master plan/ detailed project report of the zoo (enclose a copy)

Signature of the Applicant

Name of the Applicant

Date:

*Rescue Centres and Conservation Breeding Centres are not required to provide information.

IndiaCode

IndiaCode

FORM – II
[See rule 11 (1)]

PART - A

Proforma for Quarterly/ Annual Inventory Report

Inventory Report for the Quarter/ Year :

Endangered Species*

S.No	Animal Name	Scientific Name	Opening Stock as on				Births			Acquisitions			Disposals			Deaths			Closing Stock as on			
Bird			M	F	U	T	M	F	U	M	F	U	M	F	U	M	F	U	M	F	U	T
1. 2. ….																						
Total Birds																						
Mammal 1. 2. …..																						
Total Mammal																						
Reptile/ Amphibians 1. 2. …..																						
Total Reptile/ Amphibians																						
Invertebrate 1. 2. ……																						
Total Invertebrate																						
Total Animals																						

*Animals under Sch- I and Sch- II of Wild Life (Protection) Act, 1972

Curator (Animals) Director

IndiaCode

PART - B

Proforma for Annual Inventory Report

Inventory Report for the Year :

Other than endangered Species

S.No	Animal Name	Scientific Name	Opening Stock as on 1-4-				Births			Acquisitions			Disposals			Deaths			Closing Stock as on 31-03-			
Bird			M	F	U	T	M	F	U	M	F	U	M	F	U	M	F	U	M	F	U	T
1. 2. ….																						
Total Birds																						
Mammal 1. 2. ….																						
Total Mammal																						
Reptile/ Amphibians 1. 2. …																						
Total Reptile/ Amphibians																						
Invertebrate 1. 2. ….																						
Total Invertebrate																						
Total Animals																						

IndiaCode

Curator (Animals) Director

IndiaCode